

CENTRAL SERICULTURAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE, MYSORE.

NO.CSB/RTI/ACCTS/TDS/2013-14

Date: 31-10-2013

CIRCULAR

Sub: Remittance/e-Filing of TDS Returns-Non-Salary through on line-reg.

In continuation of the Circular of even No. dated 06-05-2013, it is to inform that, as per the Central Office instruction, TDS-Non-Salary amount is to be remitted to Income Tax Department through on line only. As such, all the sections are hereby requested to prepare the payment voucher to the parties only (after deducting the TDS amount) and the voucher for remittance of TDS amount to the bank from 1st November'13 onwards the same will be prepared by the Accounts Section consolidately once in every month before the due dates. With the introduction of this new system the remittance of TDS then and there is stopped forthwith which may please be noted for strict compliance by all the concerned. In view of this it is requested that all the concerned officials/Section Officers who are dealing with the above subject, as soon as the payment voucher is prepared to the parties for payment, to obtain the xerox copy of the PAN Card of the concerned party and furnished to Accounts Section immediately as the same is essentials required for e-filing of TDS Non-Salary online. In case of any failure in this regard, the responsibility will be fixed on the concerned for the lapses, if any in this regard.

Sd/-

DIRECTOR.

TO

1. The Scientist-E, SED
2. The Scientist-D, Training Division
3. The Deputy Director(Finance), Accounts Section
4. The Deputy Director(A/A), Esst./Stores Section
5. The Assistant Director, Publicity Section
6. The Library & Information Officer, Library.

Copy to : RSRS Ananathapur/Kodathi(Bangalore)/Chamarajanagar/Salem for information and necessary action.


DIRECTOR.

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर

सं. केंरेबो/अप्रसं/लेखा/स्रोत पर कर कटौती/2013-14

दिनांक : 31.10.2013

//प रि प त्र//

विषय : वेतन इतर संबंधी स्रोत पर कर कटौती राशि/विवरणियों का ऑन लाइन द्वारा प्रेषण/ई-फाइल करने के संबंध में ।

दिनांक 6.5.2013 के समसंख्यक परिपत्र के क्रम में सूचित किया जाता है कि केंद्रीय कार्यालय के अनुदेशों के अनुसार वेतन इतर स्रोत पर कर कटौती राशि केवल ऑन लाइन द्वारा ही आयकर विभाग को प्रेषित की जानी है । अतः सभी अनुभागों से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि 1 नवंबर 2013 से भुगतान वाउचर केवल पक्षकारों के लिए ही तैयार करें (स्रोत पर कर कटौती राशि कम करने के बाद) और स्रोत पर कर कटौती राशि बैंक में प्रेषित करने हेतु वाउचर तैयार करें । लेखा अनुभाग प्रत्येक महीने देय तिथि के पहले समेकित विवरण तैयार करेगा । नई प्रणाली लागू होने पर स्रोत पर कटौती का प्रेषण बंद किया जाएगा जिसे सभी संबंधितों द्वारा सख्त अनुपालनार्थ नोट कर लिया जाए । इस दृष्टि में सभी से अनुरोध किया जाता है कि उक्त विषय पर काम करने वाले सभी संबंधित पदधारी /अनुभाग अधिकारी द्वारा पक्षकारों के लिए भुगतान हेतु भुगतान वाउचर तैयार किए जाने के तुरंत बाद संबंधित पक्षकार से पैन कार्ड की फोटोप्रति लेकर तुरंत लेखा अनुभाग को भेजा जाए जैसाकि वेतन इतर स्रोत पर कर कटौती राशि विवरण का ऑन लाइन द्वारा ई फाइल करने हेतु यह अनिवार्य है । इस संबंध में कोई चूक हो जाने पर संबंधित पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा ।

ह/-

नि दे श क

सेवा में

1. वैज्ञानिक-ई, रे अ प्रभाग ।
2. वैज्ञानिक-डी, प्रशिक्षण प्रभाग ।
3. उपनिदेशक (वित्त), लेखा अनुभाग ।
4. उपनिदेशक (प्र व ले), स्थापना/भंडार अनुभाग ।
5. सहायक निदेशक, प्रचार अनुभाग ।
6. पुस्तकालय व सूचना अधिकारी, पुस्तकालय ।

प्रतिलिपि प्रेषित : क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, अनंतपुर/कोडति (बेंगलूर)/चामराजनगर/सेलम को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

आर.श्री. निदेश

नि दे श क